दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

मोबाईल पर अपहरण व हत्या करवाने की धमकी, मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। शिवम विहार कोतरारोड़ में रहने वाले विकास राय पिता राजेश राय उम्र 25 वर्ष मूल निवासी रानाडीह मुंगेर (बिहार) द्वारा दिनांक 30.09.19 को थाना कोतवाली में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि पूर्व में एफ्लोट फार्मास्यूटिकल्स नामक कंपनी रायगढ़ में एमआर कार्य करता था जहां प्रकाश सिंह मैनेजर थे। मैनेजर प्रकाश सिंह एक डाक्टर से रकम वसूलने के लिए विकास को बोला। तब विकास बोला कि मेरा काम दवाई बेचने का है रकम वसूली करना नही यह कंपनी के नियमों के भी खिलाफ है और कानूनी रूप से भी सही नही है फिर भी प्रकाश सिंह इस कार्य के लिए दबाव डालता था जिसके दबाव की वजह से विकास राय ने एफ्लोट फार्मा की नौकरी एक माह पहले छोड़ चुका है। मैनेजर प्रकाश सिंह अपने मोबाईल से विकास राय को कॉल कर अपहरण और हत्या की धमकी देता है। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अप.क्र. 849/19 धारा 507 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

नाबालिग बालिका लापता, परिवारजनों ने प्रेमी संग भागने की जताई शंका

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कापू में 15 वर्षीय बालिका के घर से कहीं चले जाने की रिपोर्ट उसके पिता द्वारा दर्ज कराया गया है। बालिका के पिता ने बताया कि दिनांक 22.09.19 को जाल लेकर मछली मारने गया था इसकी बेटी व पत्नि घर पर थे। रात को घर आया तो जानकारी हुआ कि लड़की शाम करीब 07.00 बजे से कहीं गई है और घर नहीं आयी। तब लड़की को गांव तथा रिस्तेदार के पास पता किया पता नहीं चला। बालिका के पिता ने बताया कि लड़की ग्राम सुपकालो के एक लड़के से मोबाईल पर बातचीत करती थी जिसे मना किया था। उसी लड़के के ऊपर परिजन लड़की को भगाकर ले जाने की शंका जाहिर किये है। थाना कापू में धारा 363 भादंवि के तहत अपराध अज्ञात आरोपी के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

पूंजीपथरा व बरमकेला पुलिस द्वारा जुआ, सट्टा-पट्टी पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पूंजीपथरा स्टाफ द्वारा दिनांक 30.09.19 को ग्राम गेरवानी के साप्ताहिक बाजार में 52 पत्ती तास से जुआ खेल रहे जुआडियान मिलन यादव पिता बन्नू यादव उम्र 47 वर्ष, संजय कुमार चौहान पिता जे0आर0 चौहान उम्र 40 वर्ष, डमरू साहू पिता गिरधारी साहू उम्र 38 वर्ष सभी साकिनान ग्राम गेरवानी को पकड़े जिनके कब्जे से 52 पत्ती तास, एक प्लास्टिक बोरी पट्टी, जुमला रकम 1210 रूपये जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना पूंजीपथरा में 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

वहीं थाना बरमकेला स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर दिनांक 30/09/19 कोबरमकेला सुरज होटल में सट्टा पट्टी लिखते आरोपी विधाधर चौहान पिता घुनारू चौहान उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बहलीडीह को पकडे, आरोपी के पास से कागज में 5937 रूपये का लिखा सट्टा पट्टी, नगदी रकम 3230 रूपये, दो पेन और विवो स्मार्ट फोन जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना बरमकेला में धारा 4(क) जुआ एक्ट की कार्यवाही किया गया है।

बंद रहेंगी मदिरा दुकानें आज

न्याय साक्षी/रायगढ़। शासन द्वारा गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2019 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने 2 अक्टूबर को जिले के समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों, होटल-बार दुकानों तथा भण्डारण एवं भाण्डागार को पूर्ण रूप से बंद रखने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

किराये मकान पर अवैध रूप से शराब भंडारण की सूचना पर कोतरारोड़ पुलिस की रेड कार्यवाही

भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बॉटल व केन बियर जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी व सीएसपी के मार्गदर्शन पर कोतरारोड पुलिस द्वारा घर पर अवैध रूप से शराब भंडारण की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी कोतरारोड निरीक्षक रूपक शर्मा को मुखबिर से कृष्णा विहार कॉलोनी के पास पद्मन पटेल के किराये मकान में अवैध रूप से शराब भंडारण कर रखे जाने की सूचना मिली थी जिस पर उनके द्वारा तस्दीकी के लिये स्टाफ भेजा गया, सूचना पुख्ता होने पर स्टाफ द्वारा आरोपी के फरार होने से पूर्व घेराबंदी कर शराब रेड की कार्यवाही किया गया जहां बोरी में रखे अंग्रेजी शराब रॉयल स्टैज की 32 बोतल, ब्लेंडर शराब की 04 बोतल, सिग्नेचर की 02, मैकडॉवॅल नंबर-1 की 01 तथा किंगफिशर बियर की 46 केन (500एमएल), टू-बर्ग बियर की केन 24 (500एमएल) जुमला करीब 65 लीटर अंग्रेजी शराब कीमती रू 32,365 रूपये का आरोपी राहुल जयसवाल पिता ओमप्रकाश जयसवाल उम्र 34 साल मूल निवास ग्राम दोहढी (उत्तर प्रदेश) वर्तमान पद्मन पटेल का किराया मकान कोतरारोड के पास से जप्त किया गया है। आरोपी पूर्व में शराब भट्टी में मैनेजर का काम करता था पूछताछ में आरोपी द्वारा स्वयं छुट-पुट रूप से शराब बेचना बताया है जिससे सघन पूछताछ किया जा रहा है । आरोपी के विरुद्ध थाना कोतरा रोड में धारा 34 (2)59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

कलेक्टर ने ली छ.ग.राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के संबंध में बैठक

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के संबंध में बैठक ली एवं प्रस्तुत प्रकरणों के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर विभिन्न प्रकरणों पर कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त किया गया। जिसमें विभिन्न ऐश ब्रिक्स, आयरन एवं स्टील कंपनी, वेयर हाऊस, प्रोसेसिंग यूनिट सहित विभिन्न उद्यमों के लिए अनुदान के संबंध में चर्चा की गई एवं अनुमोदन प्राप्त किया गया।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेन्द्र कटारा, उद्योग विभाग महाप्रबंधक उईके, लीड बैंक के अधिकारी एक्का सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मोटर सायकल पर प्रतिबंधित सिरप लेकर जाते युवक को चौकी खरसिया पुलिस ने पकड़ा

» आरोपी से 120 नग कोडिनयुक्त कप सिरप की सील बंद शीशी जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक जय सिंह खूंटे व हमराह स्टाफ द्वारा एक व्यक्ति मोटर सायकल लाल रंग की स्लेण्डर एनएक्सजी क्र. सीजी-11 एमबी-9992 में अवैध नशीली मादक द्रव्य कोडिनयुक्त कप सिरप को प्लास्टिक बोरी में भर कर बिक्री करने के लिए खरसिया शहर से मालखरौदा की ओर ले जाने की सूचना पर राठौर चौक बाईपास रोड़ खरसिया में आरोपी कानल कौशल गबेल पिता लक्ष्मण गबेल उम्र 30 वर्ष साकिन आडिल थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा को मुखबिर द्वारा बताये गये मोटर सायकल के साथ पकड़े। आरोपी के पास से एक प्लास्टिक बोरी में भरा हुआ नशीली मादक द्रव्य कोडिनयुक्त कप सिरप 100 एमएल वाली प्लास्टिक शीशी में भरी बंधी हुई सील बंद 120 नग, कीमती 14,400/रूपये मिला जिसे मय मोटर सायकल जप्त किया गया है। अरोपी ने नशीली मादक द्रव्य स्वयं उपयोग करना तथा गांव में अपने दोस्तों को बिक्री करना बताया है। आरोपी के विरूद्ध थाना खरसिया में अप.क्र. 415/19 धारा 21 एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की गई है।

वृद्धजन दिवस के अवसर पर 40 वृद्धजनों का हुआ नेत्र जांच

» 14 वृद्धजनों को मिला निःशुल्क चश्मा

न्याय साक्षी/रायगढ़। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज बाल समुंद वृद्ध आश्रम में 40 वृद्धजनों का नेत्र का जांच किया गया और 14 वृद्धजनों को निश्शुल्क चश्मा प्रदान किया गया। इसी कड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोइंग में वृद्धजनों का निःशुल्क जांच कर चश्मा वितरण किया गया। इस अवसर पर रायगढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष रामकुमार भगत, बीएमओ वरिष्ठ नेत्र सहायक अधिकारी एच डी गुप्ता, राजेश आचार्य, नेत्र सहायक अधिकारी चन्द्रशेखर साहू मोदी, लाल साहू ने सहयोग प्रदान किया।

बेटी होती है देवी का स्वरूप-कलेक्टर

» बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत मनाया गया कन्या जन्मोत्सव

न्याय साक्षी/रायगढ़। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत एवं नवरात्रि के पावन अवसर पर महिला विकास विभाग और चक्रधर बाल सदन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में कन्या जन्मोत्सव का कार्यक्रम 01 अक्टूबर 2019 को चक्रधर बालिका गृह के सभाकक्ष में मनाया गया। इस कार्यक्रम में 28 नवजात बालिकाएं जिनकी उम्र 1 से 3 माह तक हैं, उनका सामूहिक जन्मोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया और लिंगानुपात के अंतर को कम करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर ने उपस्थित सभी माताओं को बधाई दी और कहा कि आपके घर बेटियों ने नही देवियों ने जन्म लिया है। बेटियां किसी भी प्रकार से बेटों से कम नही होती बल्कि कई मामलों में उनका मनोबल बेटों से भी कहीं ज्यादा होता है। आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में बालिकाएं बालकों से कन्धे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो उसका एक प्रमुख कारण आप जैसी जागरूक माताएं हैं। कन्या भ्रुण हत्या एक अपराध तो है ही जिससे समाज में अस्थिरता भी आती है। इस योजना का उद्देश्य इन्ही विषयों पर लोगो को जागरूक करना है। जिस दिन समाज मे चहुंओर सही मायनों में बेटियों को यथोचित मान-सम्मान और स्थान मिलेगा उस दिन इस योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी और इसकी आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी। उन्होंने कहा हालांकि जिले ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत देश के शीर्ष 10 जिलों में स्थान बनाने की उपलब्धि हासिल की है, लेकिन अभी भी बेटियों के लिए काफी कुछ किया जाना शेष है। जिसके लिए समाज के सभी वर्गो को शासन-प्रशासन के साथ मिलकर समन्वित प्रयास करना होगा। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग के समस्त टीम और चक्रधर बाल ट्रस्ट के कर्मचारियों और स्टाफ को बधाई और शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने तिलक लगा कर नवजात बालिकाओं का अभिनंदन किया तथा उपहार स्वरूप बेबी किट पैक और कपड़े दिए।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480